

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, कमरा नं. 315, तृतीय मंजिल,
जयपुर, राजस्थान

E- mail: drugcontroller1.mh@rajasthan.gov.in

Contact no. 0141-2221670

क्रमांक: डीसी / 2020 / 93

दिनांक: 19.09.2020

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:-कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है के कोरोना महामारी के कारण आगामी कुछ समय संगठन के लिए चुनौतीपूर्ण है। सभी Covid अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिससे ऑक्सीजन सिलेन्डर्स की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है।

राज्य सरकार ऑक्सीजन की मांग अनुसार सुचारु सप्लाई एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता की अपेक्षा संगठन से करती है। आप सभी को निर्देश दिये जाते हैं कि परीक्षा की इस घड़ी में आप 24X7 पूरे समय मुस्तैद रहकर स्थिति पर नजर रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी चिकित्सालय में (विशेष तौर पर कोविड चिकित्सालय) में मेडिकल आक्सीजन की कमी ना हो तथा मांग अनुसार आपूर्ति जारी रहे।


राज्य सरकार द्वारा अनेक ऑक्सीजन निर्माण इकाइयों को अधिग्रहित कर लिया गया है जिससे ऑक्सीजन सिलेन्डर एवं ऑक्सीजन आपूर्ति पर नियंत्रण स्थापित हो सके। आवश्यकता होने पर सभी निर्माण इकाइयों पर संगठन के अधिकारी तैनात होकर सप्लाई विनियमित करें। वर्तमान स्थिति में आवश्यक औषधियों के स्टॉक एवं आवक-जावक का भी जायजा लेते रहें ताकि स्थिति आपके नियंत्रण में हो। जिला प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर समन्वय रखें।

उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यक है कि सभी सहायक औषधि नियंत्रक अपने अधीन औषधि नियंत्रण अधिकारियों से इस विषय में प्रतिदिन चर्चा करें एवं प्रभावी रणनीति बनाकर अमल करें।

इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि इस संकट के समय में अनामाजिक तत्वों द्वारा ऑक्सीजन सिलेन्डर अथवा अन्य औषधियों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी ना हो।

उपरोक्त मामलों में किसी भी चूक अथवा लापरवाही के लिये आप उत्तरदायी होंगे।

आपके स्तर पर की जा रही कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। प्रतिदिन की गई मॉनिटरिंग की रिपोर्ट मुख्यालय को ई-मेल पर प्रेषित करें।



(राजा राम शर्मा) 19/9/20
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर

क्रमांक :-डीसी / 2020 / 93

दिनांक : 19.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
4. श्रीमान् मिशन निदेशक, एन.एच.एम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. श्रीमान् निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. रक्षित/कार्यालय पत्रवली।


(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर